LOK SABHA

Wednesday, August 24, 1966/Bhadra 2, 1888 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

+

*629. **डा० राम मनोहर लोहिया**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा, नदी-जल वितरण तथा अन्य ऐसे मामलों संबंधी अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिये एक स्थायी समिति की नियुक्ति के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) यदि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) (क) से (ग) : भूत काल में खास खास अंतर्राज्यीय विवादों की प्रकृति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें निपटाने के लिये आयोग अथवा समितियां नियुक्त की गई हैं । इस प्रश्न की अभी तक जांच की जा रही है कि क्या ऐसे विवादों को निपटाने के लिये और भी किसी व्यवस्था का निर्माण किया जाये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जहां नदियों का पानी और बहाव बदलता रहता है वहां सैकड़ों, हजारों गांव इधर या उधर होते रहते हैं । उस सम्बन्ध में जैसा उत्तर-प्रदेश और बिहार में एक समझौता भी हुआ है वैसे करीब 50,000 या लाख आदमी आपस में लड़ाई वगैरह करते रहते हैं उस समझौते के बिना लेकिन फिर भी अभी तक भारत सरकार ने उस समझौते को लागू करवाने के लिये कोई कदम नहीं उठया है तो क्यों नहीं उठाया और उस को उत्तर-प्रदेश और बिहार सरकार समझती है किसी न्याय संघ का फैसला है एक सरकार मान रही है दूसरी नहीं मान रही है तो उस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या करने का इरादा है ?

श्री हाथी : वह तो दोनों सरकारों ने साथ मिल कर जो समझौता किया है वही समझौता है लेकिन एक बात मैं कह दूं कि कभी ऐसी जरूरत हो कि इस नदी के पानी के झगड़े को हल करने के लिए कोई कोर्ट न्यायालय या आर्बिट्रेशन की आवश्यकता हो इसलिए कांस्टीटयूशन की धारा 256 में अधिकार है और हम ने यहां इंटर स्टेट रिवर वैली डिस्प्यूट्स ऐक्ट भी पास किया है । अभी तक उस में उस का उपयोग नहीं

किया है लेकिन उस के लिए एक विधान, कायदा हम ने बना लिया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ने पूछा था जहां तक मुझे मालूम है वह न्याय संघ का फैसला था तो भारत सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस को लागू करवाये तो क्यों नहीं उसे लागू करवाया ?

श्री हाथी : जब दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हो गया तो दोनों में से कोई एक न्यायालय में जा सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह न्याय संघ का खुद का फैसला है ?

श्री हाथी : वह आर्बिट्रेशन है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी मेरा दूसरा सवाल बाकी रहता है ।

इस आशा को लेकर राज्यों में आपस में लड़ाई हो रही है चाहे वह महाराष्ट्र हो, मैसूर हो चाहे केरल हो, कर्नाटक हो या तामिलनाड हो तो यह सब सवाल गांव या तहसील को लेकर उठते रहते हैं तो क्या सरकार ने इस बात पर सोचा है इन सब सवालों के सम्बन्ध में कि कोई नियम या सिद्धान्त लागू कर के एक आयोग बना डालें और अगर सोचा है तो क्या नतीजा निकला ?

श्री हाथी : नहीं आयोग बनाने की बात तो नहीं सोची लेकिन जैसा मैं ने बतलाया जब जब ऐसी कोई घटना बनती है तब तब उन को निबटाने के लिये या तो कमेटी या कमिशन की नियुक्ति होती है और बहुत से ऐसे झगड़े थे जिनको कि हम निबटा सके हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि इन मामलों में देर करने से जो जो बात हो रही है वह कैसे रक्खी जा रही है, कांग्रेसी ने कांग्रेसी की हत्या की, कांग्रेसी ने कांग्रेसी को घायल किया या यह कि कांग्रेसियों ने रेलों को रोके रक्खा, दो दो घंटे तक आगे नहीं चलने दिया उस का असर भौगोलिक हो या ऐतिहासिक, क्या आधार है उसका और आप ने जो ज़ोनल कौंसिल बना ली है या कमिशन बना लिया है आखिर वह किस मर्ज की दवा है और अगर यह ठीक नहीं कर सकती है तो उसका हल व इलाज किस आधार पर किया जायेगा ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य कांग्रेसियों की चिन्ता न करें ।

श्री मधु लिमये : कांग्रेस की नहीं बल्कि देश की उन्हें चिन्ता है ।

श्री हाथी : वैसे एक बात है कि जब कोई आर्बिट्रेशन की बात या तो पंच की बात रखने का समझौता हो तब फिर ऐसे झगड़े नहीं करने चाहिएं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इधर 19 वर्षों से भाषावार राज्य बनें या न बनें बम्बई द्विभाषी राज्य का विभाजन हो या न हो, पंजाब का विभाजन हो या न हो इन चीजों को लेकर इन्होंने सारे देश में एक द्वेष की भावना विभिन्न राज्यों में और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों में पैदा की । विभाजन किया उस के लिए भी धन्यवाद और विभाजन नहीं किया उस के लिए भी धन्यवाद आप को मिलता है । इसी तरीके से भाषावार राज्य बनाये गये उस के लिये भी धन्यवाद और जब तक नहीं बनाये गये थे उन के लिये भी आप को धन्यवाद मिलता रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह राज्यों के बीच आपस में जो विवाद है इन विवादों को हल करने के लिए जैसे कि सीमा विवाद है नदी पानी के बटवारे का विवाद है, इनको लेने के आधार पर कोई स्थायी हल निकाला जायेगा ताकि अगले सौ साल में फिर यह मामला न उठे क्या इस तरीके का कोई इंतजाम सभी राज्यों के बारे में सरकार करने वाली है ?

श्री हाथी : अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोची गई है ।

श्री मधु लिमये : क्या हर साल आप यह विवाद खड़े करना चाहते हैं । 100 साल भी देश की राष्ट्रीय एकता को नहीं बनाये रखना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों में सीमा को लेकर विवाद है और किन किन राज्यों में नदियों के जल को लेकर विवाद है ।

श्री हाथी : उन की सूची मुझे बनानी पड़ेगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना सदन के सभा पटल पर रखी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

Shri Sivamurthi Swamy: In the answer given to Question No. 1178 (Unstarred) dated 3rd August, 1966, he has stated that the general policy of the Government of India has been that any readjustment of territories fixed under the reorganisation scheme should be made on the basis of agreement beween the parties concerned and the Government of India has already informed Orissa, Andhra, Madras and other States that mutually it should be agreed that the borders should be re-adjusted. May I know whether this policy of the Government stands till today or you have revised it, especially in regard to Maharashtra-Mysore, so as to appoint a one-man commission which the Prime Minister has announced?

Shri Hathi: No. The policy of the Government is that it is always better and desirable that the solution of such disputes is made by an amicable settlement or agreement between the parties. That is the policy. In case the parties cannot come to an agreement, then the question of appointing a committee or a commission would arise.

Shri Basappa: Since the hon. Minister stated that the Government is considering the question of appointment of a commission, before appointing the Commission will the Government take care to see that certain fundamental principles are first decided upon. Whether it be in respect of inter-State river valley disputes or in respect of border disputes like the one between Mysore and Maharashtra, there are certain fundamental principles to be decided, such as famine-stricken area, population of the area, rainfall in the area etc., in the case of river valley disputes and in the case of border disputes there are matters like whether a village is a unit, what percentage of population should be there, whether it should be 60 per cent. or 70 per cent and such other things. These fundamental principles must be decided before the appointment of a commission and what terms of reference are to be given to the commission. Therefore, I want to know whether Government is going to have these fundamental principles decided first?

Shri Hathi: May I correct the hon. Member, that in my reply I have not said that the Government is considering appointing a commission permanently for anything. I said, the question whether any further machinery should be constituted to settle such disputes is still under examination.

Shri Basappa: Before it is settled, these fundamental principles have to be decided.

Shri Hathi: Therefore, I have not said that the Government is considering the appointment of any permanent commission or any such thing.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यमुना नदी के पानी के इधर दिल्ली, रोहतक, करनाल और अम्बाला हैं और उधर मेरठ मुज़फ्फरनगर, और सहारनपुर हैं, नदी का जो बहाव है वह बदलता रहता है, कई बार ऐसा होता है कि एक एक गांव की हजारों बीघा जमीन उधर चली जाती है या उधर की इधर चली जाती है तो जिन किसानों के खेत का ऐसा हाल हुआ है उनके लिये क्या कोई स्थिर

उपाय किया जा रहा है जिससे उनके खाने का मसला हल होता रहे ।

श्री हाथी : जब दो राज्यों के बीच का कोई प्रश्न या झगड़ा हो तो ऐसी बातें जोनल कौंसिल में आती हैं और आ जायेंगी ।

Shri Surendranath Dwivedy: From the reply of the hon. Minister is it right to have the impression—at least I have carried that impression—that the Government has not yet taken any decision so far as the appointment of the one-man Commission for the Mysore-Maharashtra dispute is concerned? May I know what is the position of the Government, whether they have decided anything in this matter and whether, when the demarcation takes place, the village will be considered as the unit for dividing two provinces?

Shri Hathi: I am sorry the hon. Member has not got the correct impression. In my reply I did not say that the Government had not yet taken a decision to appoint that Commission for the Mysore-Maharashtra boundary dispute. The question was whether a permanent commission was to be appointed for settling all the disputes and my reply was that no decision had been taken to appoint a permanent commission to settle such disputes because in the past we have been able to decide these questions by appointing a committee or a commission or a zonal council (*Interruptions*). Therefore, that is not so. This Commission is going to be appointed.

Mr. Speaker: Mr. Venkatasubbaiah.

Shri Surendranath Dwivedy: I also asked whether the village was going to be the unit for demarcation of the boundary.

Shri Hathi: So far as that is concerned, as the House knows, the terms of reference are being discussed between the two Chief Ministers and when they are finalised, it will be known.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether, in pursuance of the appointment of the boundary commission, the one-man commission, so far as the Mysore-Maharashtra border dispute is concerned, Government are in active consideration of going into the water disputes of other States, whether any such instances are brought to the notice of the Government, and if so, what are they going to do?

Shri Hathi: For the present, let us await the agreed terms of reference between the two Chief Ministers. Later on, we can go into those.

Code of Conduct of Legislators

\+

*630. **Shri Yashpal Singh**:
Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Code of Conduct of Legislators has been finalised; and

(b) if so, when it will be placed on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The draft Code is under consideration. A meeting of some M.Ps. arranged by Department of Parliamentary Affairs was held recently to discuss the draft Code to regulate the relationship between Members of Parliament and of State Legislature and the Administration, and the Code of Conduct for Legislators. Thereafter Department of Parliamentary Affairs have sent the draft Code to some M.Ps. for their comments and suggestion.

श्री यशपाल सिंह : इस कोड आफ कंडक्ट में क्या कोई प्राविजन भी है, जैसा कि आजकल होता है कि मेम्बर पार्लियामेंट